छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई-अगस्त, 2006 सत्र

गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई, 2006

तारांकित प्रश्नोत्तर

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

1. (*क्र. 419) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2005-2006 में जिला महासमुंद में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में मार्कफेड द्वारा खरीदे गए ''बारदाना'' में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? (ख) खरीदे गये बारदानों की अनियमितता के लिए किन-किन अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाया गया ? इन पर अभी तक क्या-क्या शास्तियां अधिरोपित की गई ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) खरीफ वर्ष 2005-06 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु मार्कफेड द्वारा बारदानों की खरीदी नहीं की गई है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

अनुविभागीय अधिकारी अंबिकापुर द्वारा विभिन्न मदों में से कराये गये कार्यों में अनियमितता की जांच

2. (*क्र. 354) **डॉ. रामचंद्र सिंहदेव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन संभाग-1 अंबिकापुर जिला सरगुजा द्वारा विगत 2 वर्षों में विभिन्न मदों से कितनी-कितनी राशि का निर्माण कब-कब कहां-कहां कराया गया है ? वर्षवार विवरण दें ? (ख) क्या उक्त कार्यों की जांच एन्टीकरप्शन ब्यूरो द्वारा एवं खनिज रायल्टी चोरी की जांच जिलाध्यक्ष कार्यालय द्वारा कराई जा रही है ? (ग) यदि हां, तो जांच कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर के अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 में विभिन्न मदों में कराये गये कार्यों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-''1'' एवं प्रपत्र-''2'' में दर्शित है. (ख) अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक-2, अम्बिकापुर द्वारा कराये गये उक्त मदों के कार्यों की जांच एन्टीकरप्शन ब्यूरो एवं खनिज रायल्टी चोरी की जांच जिलाध्यक्ष कार्यालय द्वारा कराई जा रही है. (ग) प्रश्नांश जांचकर्ता कार्यालय से संबंधित है, अतः विभाग द्वारा समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

निगम, मण्डल एवं बोर्डों का गठन तथा उनमें की गयी नियुक्तियों की जानकारी

3. (*क्र. 62) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर 2003 के उपरांत दिनांक 28-06-2006 तक कितने निगम, मण्डल एवं बोर्डों का गठन किया गया है ? राज्य में कितने निगम, मण्डल, बोर्ड का गठन किया गया है कृपया गठन की तिथि सहित जानकारी दें ? (ख) प्रत्येक निगम, मण्डल एवं बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक सदस्यों के रूप में किन-किन की नियुक्तियां की गयी है ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2005-2006 में सड़कों, पुल-पुलिया निर्माण हेतु राशि का प्रावधान

4. (*क्र. 147) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान

सभा क्षेत्र में वर्ष 2005-2006 में किन-किन सड़कों, पुल-पुलियों के निर्माण के लिये कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया था ? (ख) उक्त कार्य में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? कितने प्रगति में हैं ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) सड़कों की जानकारी (छोटी पुलियों सहित) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार एवं पुलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब-1, ब-2 एवं ब-3 के अनुसार है. (ख) सड़क कार्य-02 पूर्ण, 06 प्रगति. पुल कार्य-03 पूर्ण, 07 प्रगति.

निगम/मंडल में अध्यक्ष पद पर नियुक्त व्यक्तियों को प्रदत्त वेतन एवं भत्तों की जानकारी

5. (*क्र. 288) **श्री उदय मुदलियार :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2004 से दिनांक 30 जून, 2006 तक किन-किन निगम/मंडलों में किन-किन अशासकीय व्यक्तियों की अध्यक्ष के रूप में कब-कब, कितने वर्षों के लिए नियुक्ति की गयी ? प्रतिमाह कितना वेतन व भत्ता प्रदान किया जाता है ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : जानकारी एकत्र की जा रही है.

दुर्ग जिले के ग्रामों में अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरण

6. (*क्र. 172) **श्री ताम्रध्वज साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि** (क) दुर्ग जिले में अवैध शराब बिक्री के कितने प्रकरण वर्ष 2005-2006 में कौन-कौन से थानों में दर्ज किए गये ? (ख) पकड़े गये आरोपियों के खिलाफ कौन सी धारा के तहत क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2005 में अवैध शराब बिक्री के 563 प्रकरण एवं वर्ष 2006 में 338 प्रकरण पंजीबद्ध हुए, थानेवार आंकड़े † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) दुर्ग जिले में अवैध शराब बिक्री के प्रकरणों में गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध 34 आबकारी एक्ट के अंतर्गत चालान न्यायालय में पेश किया है. वर्ष 2005 में थाना सुपेला के अपराध क्र. 657/05 तथा वर्ष 2006 में थाना नांदघाट के अपराध क्र. 13/06 में अज्ञात आरोपियों का पता न चलने से खात्मा भेजा गया.

जिला जांजगीर-चांपा के केरा तथा चांपा घठोली राज्य मार्गों के निर्माण संबंधी जानकारी

7. (*क्र. 15) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-केरा राज्य राजमार्ग एवं चांपा घठोली राज्य राजमार्ग के निर्माण हेतु निविदा कब, कितनी राशि की जारी की गयी ? (ख) कार्यादेश कब जारी किया गया एवं निर्माण अवधि कितनी है ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) जांजगीर-केरा मार्ग का निविदा जारी दिनांक 4-4-2006 एवं राशि रुपये 1854.00 लाख. चांपा-घटोली बिर्रा मार्ग का निविदा जारी दिनांक 4-6-2005 एवं राशि रु. 281.12 लाख. (ख) क्रमश: दिनांक 26-6-2006 एवं 22 माह वर्षाऋतु को छोड़कर और दिनांक 9-9-2005 एवं 13 माह वर्षाऋतु को छोड़कर.

जरहागांव तथा मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में कृषकों को बीज की व्यवस्था

8. (*क्र. 536) **श्री चुरावन मंगेशकर :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जरहागांव एवं विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में विकासखण्ड स्तरवार कौन-कौन सी किस्म की बीज कितने मात्रा में प्रदान किया गया है ? (ख) बिलासपुर जिले में सम विकास योजना में बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2005-06 में किसानों के द्वारा क्रय किये गये बीज की राशि की भुगतान कितने किसानों को किया गया ? कितने को नहीं ? तथा कब तक किया जायेगा ?

† परिशिष्ट "एक"

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) बिलासपुर जिले के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जरहागांव एवं विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में खरीफ 2006 (दिनांक 12-7-2006 की स्थिति) में विकासखण्ड पथरिया में 359.66 क्विंटल बीज भंडारित किया गया तथा 329.81 क्विंटल बीज वितरित किया गया एवं विकासखण्ड मुंगेली में 2610.64 क्विंटल बीज भंडारित किया गया तथा 2438.40 क्विंटल बीज वितरित किया गया. भंडारित व वितरित किये गये बीज का विवरण निम्नानुसार है. फसलवार, किस्मवार विस्तृत जानकारी प्रपत्र ''अ'' में † संलग्न है.

(इकाई क्विंटल में)

क्र.	फसल	विकासखण्ड-पथरिया		विकासखण्ड-मुंगेली	
		भंडारित बीज	वितरित बीज	भंडारित बीज	वितरित बीज
1.	धान	333.60	305.70	669.40	498.40
2.	अरहर	5.80	4.30	10.88	9.64
3.	तिल	1.00	0.55	0.00	0.00
4.	सोयाबीन	16.80	16.80	1928.70	1921.42
5.	अरण्डी	0.40	0.40	0.40	0.40
6.	मूंग	1.20	1.20	1.20	1.20
7.	मक्का	0.06	0.06	0.06	0.06
8.	ढेंचा	0.80	0.80	0.00	0.00
	योग	359.66	329.81	2610.64	2438.40

(ख) बिलासपुर जिले में सम विकास योजना के अंतर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2005-06 (रबी एवं खरीफ) में 195 कृषकों को उपार्जित बीज का भुगतान कर दिया गया है. वर्तमान में कोई भी कृषक को भुगतान किया जाना शेष नहीं है. अत: समय बताने का प्रश्न ही नहीं उठता है. भुगतान से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रपत्र ''ब'' में † संलग्न है.

नीम सोना खाद के भण्डारण की जानकारी

9. (*क्र. 38) **श्री नोवेल कुमार वर्मा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31-5-2006 की स्थिति में जांजगीर-चांपा जिले के जिला केंद्रीय सहकारी मर्यादित बैंक में नीम सोना खाद का भण्डारण कितना है ? सोसायटी का नाम, स्थान, खाद की मात्रा, खाद की कीमत, सोसायटी में भण्डारण तिथि भुगतान तिथि क्या-क्या है ? (ख) कंडिका (क) के नीम सोना खाद की खरीदी किस सत्र में किस अधिकारी के आदेश से की गई ? (ग) वर्ष 2003-2004, 2004-05, 2005-06 में जिले में नीम सोना खाद की कुल कितनी मात्रा में कितने मूल्य की खरीदी किस संस्था से की गई थी ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) 31 मई 2006 की स्थिति में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा में नीम सोना खाद का भण्डारण 331.24 क्विंटल है. सोसायटी का नाम, स्थान, भण्डारण दिनांक, खाद की मात्रा, भुगतान तिथि, खाद की कीमत, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 में है. (ख) कंडिका (क) के नीम सोना खाद की खरीदी वर्ष 1999 2000, 2000-01 एवं 2001-02 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. बिलासपुर के तत्कालीन महाप्रबंधक श्री एम. एस. परिहार के आदेश से की गई. (ग) प्रश्नांश ग में उल्लेखित वर्षों में नीम सोना खाद की खरीदी नहीं की गई है.

भटगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दालभात केन्द्रों की जानकारी

10. (*क्र. 112) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भटगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2004 से 31 मार्च, 2006 की स्थिति में दाल भात केन्द्रों की संख्या कितनी है ? नाम सहित बतायें ? (ख) दाल भात केन्द्रों में चांवल कहां से प्रदान किया जाता है तथा प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा में प्रतिदिन प्रदान की जाती है ? (ग) वर्ष 2004 से 2006 तक कितना चावल भटगांव विधान सभा अंतर्गत प्रदान किया गया, वर्षवार बतायें ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) भटगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 31 दिसंबर, 2004 से 31 मार्च, 2006 की स्थिति में कोई

† परिशिष्ट ''दो''

दाल-भात केन्द्र संचालित नहीं था. (ख) दाल-भात केन्द्रों को चावल का प्रदाय शासकीय उचित मूल्य दुकान से किया जाता है. प्रति व्यक्ति एक समय के लिए 300 ग्राम के मान से चावल प्रदान किया जाता है. (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

भिलाई वृहद् पेयजल योजना हेतु पानी की आपूर्ति

11. (*क्र. 190) **डॉ. बालमुकुन्द देवांगन :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिलाई वृहद् पेयजल योजना हेतु पानी की आपूर्ति किन-किन जलाशयों से कितनी मात्रा में की जाती है ? (ख) क्या दुर्ग जिले के खरखरा मोहदीपाठ परियोजना तथा खरखरा से उपरोक्त परियोजना से भी उक्त योजना हेतु पानी की आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? (ग) यदि हां, तो खरखरा मोहदीपाठ परियोजना एवं खरखरा से उपरोक्त पेयजल हेतु पानी देने के उपरांत सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर भिलाई वृहद् पेयजल योजना हेतु पानी उपलब्ध किया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) भिलाई वृहद पेयजल योजना हेतु जल आपूर्ति वर्तमान में किसी भी जलाशय से नहीं की जाती है. (ख) जी नहीं. (ग) भिलाई वृहद् पेयजल योजना हेतु 22 मिलियन घन मीटर जल प्रति वर्ष, विभाग की रविशंकर सागर परियोजना के जलाशय में आरक्षित करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है.

धान के परिवहन एवं लोडिंग दर की जानकारी

12. (*क्र. 56) **श्री भूपेश बघेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय खाद्य निगम एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के संग्रहण केन्द्र से राईस मिल तक प्रति किलोमीटर धान परिवहन दर एवं लोडिंग दर कितना-कितना है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के धान संग्रहण केन्द्रों से राईस मिल तक की निर्धारित परिवहन दर की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. भारतीय खाद्य निगम द्वारा 8 किलोमीटर दूरी तक मिलर्स को कोई परिवहन देय नहीं है तथा 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी हेतु भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालयों में प्रचलित एल.आर.टी. दर एवं विपणन संघ द्वारा निर्धारित परिवहन दर में से, जो भी दर कम हो, उसके अनुसार परिवहन व्यय का भुगतान किया जाता है. भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान के लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय देय नहीं है. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा देय लोडिंग एवं अनलोडिंग दर की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

ए.डी.बी. योजनांतर्गत सड़कों तथा पुल निर्माण की स्वीकृति

13. (*क्र. 514) **ठा. बलराम सिंह :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ए.डी.बी. योजना के अंतर्गत 800 करोड़ का ऋण स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत राज्य में किन-किन सड़कों का चौड़ीकरण एवं पुल बनाने का प्रावधान है ? (ख) उक्त योजनांतर्गत प्रथम चरण में किन-किन विकासखण्डों को शामिल किया गया है ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. प्रपत्र "अ" एवं "ब" †† संलग्न है. (ख) सड़कों का चयन विकासखण्ड के अनुसार नहीं किया गया है. मुख्यत: राजमार्ग एवं मुख्य जिला मार्गों को सम्मिलित किया गया है. †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार.

मुंगेली विधान सभा क्षेत्रांतर्गत हाफ तथा आगर डायवर्सन के भू-अर्जन के लंबित प्रकरण

14. (*क्र. 366) **श्री चन्द्रभान बारमते :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हाफ डायवर्सन (दुल्लीपार) एवं आगर डायवर्सन (भुरका) के भू-अर्जन के कितने प्रकरण कब से लंबित हैं ? लंबित रहने का क्या कारण है ? (ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक हो जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हाफ डायवर्सन (दुल्लीपार) के 04 भू-अर्जन प्रकरण वर्ष 2005-06 से तथा आगर डायवर्सन (भुरका) के 12 भू-अर्जन प्रकरण वर्ष 2002-03 से भू-अर्जन अधिकारी के पास प्रक्रियाधीन

† परिशिष्ट "तीन" †† परिशिष्ट "चार"

है. विभाग के अंतर्गत कोई प्रकरण लंबित नहीं है. (ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण अर्धन्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

वृष्टिछाया योजना के तहत कृषकों को प्रदत्त अनुदान राशि

15. (*क्र. 167) **श्री चैतराम साहू :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सन् 2004-05 एवं 2005-06 में वृष्टिछाया योजना में कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? (ख) लक्ष्य के विरुद्ध कितने प्रकरण बनाये गये हैं एवं कितने स्वीकृत हुए, कितने कृषकों को कितनी-कितनी अनुदान की राशि प्रदाय की जा चुकी है ? कितने शेष हैं, तथा इन्हें कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) **:** (क) योजना के अंतर्गत विधान सभावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं. भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भाटापारा एवं सिमगा विकासखण्ड हेतु किसान समृद्धि (वृष्टिछाया) योजना अंतर्गत वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये थे :—

क्र.	विकासखण्ड	निर्धारित लक्ष्य	
		2004-05	2005-06
1.	भाटापारा	92	254
2.	सिमगा	92	254
	योग	184	508

(ख) लक्ष्य के विरुद्ध तैयार किये गये प्रकरण, पंजीकृत/स्वीकृत प्रकरण, अनुदान प्राप्त कृषकों की संख्या एवं राशि, अनुदान शेष कृषकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	विवरण	भाटापारा		सिमगा	
		2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1.	तैयार किये गये प्रकरण	55	131	81	197
2.	पंजीकृत/स्वीकृत प्रकरण	55	131	81	197
3.	खनित नलकूप				
	सफल	50	103	70	71
	असफल	04	01	05	03
	योग	**54**	**104**	**75**	**74**
	खनन हेतु शेष	01	27	06	123
4.	अनुदान प्रदाय				
	खनन अनुदान	54	94	75	56
	पंप अनुदान	28	10	15	-
5.	अनुदान राशि	12,18,676	14,74,000	11,63,999	7,35,815
6.	अनुदान हेतु शेष				
	खनन अनुदान	-	10	-	18
	पंप अनुदान	22	93	55	71

वर्ष 2005-06 के लंबित अनुदान प्रकरणों में से भाटापारा के 10 एवं सिमगा के 18 कृषकों के खनन अनुदान हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है. पात्रतानुसार देय अनुदान राशि का भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा. पंप अनुदान हेतु शेष प्रकरणों में कृषकों से आवेदन प्राप्त होने उपरांत नियमानुसार अनुदान का भुगतान किया जावेगा. कृषकवार प्रदत्त अनुदान की राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 (अ), 1 (ब), 1 (स) एवं 1 (द) पर है.

आदिवासी परिवारों को बांटे गये गाय, बैलों की जानकारी

16. (*क्र. 650) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005-2006 में शासन की नीति के अनुसार जिलेवार कितनी संख्या में गाय, बैल आदिवासी परिवारों को बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? (ख) वर्ष 2005-2006 एवं 2006-07 में 6 जुलाई, 2006 तक की स्थिति में कौन-कौन से जिले में कौन-कौन से ब्लाक में कितनी-कितनी संख्या में गाय, बैल का वितरण किया गया है ? (ग) गाय, बैल क्रय करने की क्या नीति है तथा किस दर पर खरीदी की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वर्ष 2005-2006 में शासन की नीति के अनुसार जिलेवार निम्न संख्या अनुसार गाय, बैल आदिवासी परिवारों को बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया :—

(1) **गाय वितरण**

क्र.	जिला	विकासखण्ड	गाय वितरण का लक्ष्य
1.	बस्तर	जगदलपुर	1200
		कोण्डागांव	1200
2.	कांकेर	कांकेर	1200
3.	महासमुन्द	बागबाहरा	1200
4.	धमतरी	नगरी	1200
5.	बिलासपुर	गौरेला	1200
		योग	7200

(2) **बैल जोड़ी**

क्र.	जिला	विकासखण्ड की संख्या	बैलजोड़ी वितरण का लक्ष्य
1.	दंतेवाड़ा	07	6480
2.	बस्तर	02	2000
3.	कांकेर	02	2000
4.	दुर्ग	01	740
5.	राजनांदगांव	03	2220
6.	बिलासपुर	03	2220
7.	कोरबा	05	3700
8.	अंबिकापुर	06	4440
9.	कोरिया	05	3700
	योग	34	27500

(ख) वर्ष 2005-2006 एवं 2006-07 में 6 जुलाई 2006 तक की स्थिति में निम्न जिले के ब्लाक में गाय, बैल का वितरण किया गया :—

क्र.	जिला	विकासखण्ड	गाय वितरण		योग	बैलजोड़ी वितरण		योग
			प्रथम गाय 2005-06	द्वितीय गाय 2006-07		2005-06	2006-07	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	बस्तर	जगदलपुर	1196	621	1817	-	-	-
		कोण्डागांव	1204	-	1204	-	-	-
		नारायणपुर	-	-	-	594	249	843
		ओरछा	-	-	-	148	211	359

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	महासमुन्द	बागबाहरा	1204	593	1797	–	–	–
3.	धमतरी	नगरी	1206	355	1561	–	–	–
4.	कांकेर	कांकेर	1201	–	1201	–	–	–
		अंतागढ़	–	–	–	400	32	432
		पंखाजूर	–	–	–	15	–	15
5.	दंतेवाड़ा	भैरमगढ़	–	–	–	579	85	664
		बीजापुर	–	–	–	255	17	272
		आवापल्ली	–	–	–	–	29	29
		भोपालपटनम	–	–	–	–	39	39
6.	बिलासपुर	गौरेला	1208	–	1208	–	–	–
7.	कोरबा	कोरबा	–	–	–	394	206	600
		पाली	–	–	–	–	600	600
		करतला	–	–	–	–	600	600
		पोड़ी उपरोड़ा	–	–	–	–	667	667
		कटघोरा	–	–	–	–	533	533
		योग	**7219**	**1569**	**8788**	**2385**	**3268**	**5653**

(ग) गाय, बैल क्रय करने की नीति तथा दर अलग-अलग निर्धारित है.

(1) **गाय**

दुधारू गाय की खरीदी प्रोजेक्ट सेल, एन.डी.डी.बी. के द्वारा निविदा आमंत्रित कर, अनुमोदित दरों पर क्रय किया जाता है. वर्ष 2005-06 में 5-10 लीटर प्रतिदिन दुग्धोत्पादन वाली गायें रु. 1177=00 प्रति लीटर तथा रु. 2900=00 परिवहन व्यय की दर निर्धारित कर, खरीदी गई. दिनांक 30 जून, 2006 तक रु. 10,59,16,199=00 (रु. दस करोड़ उन्सठ लाख सोलह हजार एक सौ निन्यानवे) मात्र से 8,788 दुधारू गाय क्रय की गई.

(2) **बैल जोड़ी**

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा दरों का निर्धारण मापदण्ड अनुरूप किया जाता है. समिति में निम्न सदस्य हैं :—

क्र.	नाम	पद
1.	संबंधित जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	संबंधित मान. सांसद/सांसद प्रतिनिधि	सदस्य
3.	संबंधित मान. विधायक/विधायक प्रतिनिधि	सदस्य
4.	प्रभारी मंत्री जी के द्वारा नामांकित व्यक्ति	सदस्य
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
6.	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास	सदस्य
7.	उप संचालक, कृषि	सदस्य
8.	संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी.	सदस्य
9.	जिला अधिकारी पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव

बैल जोड़ी की अधिकतम दर रु. 8,000=00 निर्धारित है.

प्रदेश में चोरी, हत्या, बलात्कार आदि मामलों में दर्ज प्रकरण

17. (*क्र. 209) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 दिसम्बर, 2003 से 30 जून, 2006 तक (प्रदेश में) चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, हत्या के प्रयास, आगजनी एवं महिला उत्पीड़न के कितने-कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त अवधि में नक्सलियों द्वारा उपरोक्त घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? जिलेवार अलग-अलग जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र ''अ'' पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र ''ब'' पर है.

जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभागीय मद, सम विकास एवं काम के बदले अनाज योजना की जानकारी

18. (*क्र. 446) **श्री लच्छुराम कश्यप :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में विभागीय मद सम विकास योजना एवं काम के बदले अनाज योजना अंतर्गत वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में लघु सिंचाई तालाब निर्माण स्टाप डेम, चेक डेम, तालाब गहरीकरण तथा नहर गहरीकरण के कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां स्वीकृत किये गये ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में कितने कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण है ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किये जावेंगे ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) बस्तर जिले में विभागीय मद, सम विकास योजना एवं काम के बदले अनाज योजना अंतर्गत लघु सिंचाई, तालाब निर्माण स्टापडेम, चेकडेम, तालाब गहरीकरण तथा नहर गहरीकरण के वर्ष 2004-05 में 144 कार्य रुपये 1297.019 लाख के तथा वर्ष 2005-06 में 76 कार्य रुपये 2919.70 लाख के स्वीकृत किये गये हैं. कार्यों की संख्यावार संक्षिप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-1 में तथा योजनावार स्थल सहित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-2 में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश ''क'' के उल्लेखित वर्ष 2004-05 में 140 कार्य पूर्ण तथा 04 कार्य अपूर्ण है तथा वर्ष 2005-06 में 49 कार्य पूर्ण तथा 27 कार्य अपूर्ण है. अपूर्ण योजनाओं की पूर्णता तिथि पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-2 में दर्शित है.

मृतक बलदाऊ कौशिक निवासी हथलेवा थाना कवर्धा की हत्या के संबंध में

19. (*क्र. 405) **डॉ. चेतन वर्मा :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मृतक बलदाऊ कौशिक निवासी हथलेवा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम के हत्या के जुर्म में निरीक्षक अम्बरीश शर्मा, उप निरीक्षक राजेन्द्र पाण्डेय, प्रधान आरक्षक दयाराम, आरक्षक राकेश श्रीवास एवं मनोज उपाध्याय को माननीय न्यायालय द्वारा सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है ? (ख) क्या उपरोक्त सभी अरोपियों को सेवानिवृत्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हां. (ख) श्री अम्बरीश शर्मा, निरीक्षक को दिनांक 1-6-2002 तथा श्री राजेन्द्र पाण्डेय उप निरीक्षक, श्री दयाराम प्रधान आरक्षक, श्री राकेश श्रीवास आरक्षक एवं श्री मनोज उपाध्याय आरक्षक को दिनांक 18-6-2003 को निलंबित किया गया है. नियमानुसार उपरोक्त सभी को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है.

वर्ष 2005-2006 में समर्थन मूल्य में की गई धान की खरीदी

20. (*क्र. 346) **मोहम्मद अकबर :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समर्थन मूल्य के अंतर्गत 2005-2006 में जिलेवार कितनी-कितनी राशि का कितनी-कितनी मात्रा में धान उपार्जन कर कस्टम मिलिंग हेतु उपार्जन केन्द्रों से राईस मिलर्स को प्रदाय किया गया ? उक्त उपार्जित धान में से जिलेवार किन-किन कारणों से कितनी-कितनी कमी पाई गई ? (ख) रायपुर जिले में किन-किन उपार्जन तथा भण्डारण केन्द्रों से कितना-कितना धान कौन-कौन से राईस मिलर्स को प्रदाय कर कितना-कितना चावल कस्टम मीलिंग एवं लेव्ही के रूप में प्राप्त किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नांकित अवधि में सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय किए गए धान की मात्रा एवं राशि तथा उपार्जन केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलर्स को प्रदाय किए गए धान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है. उपार्जित धान में जिलेवार आयी कमी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है. (ख) रायपुर जिले के धान उपार्जन केन्द्र

† परिशिष्ट ''पांच''

तथा संग्रहण केन्द्रों से राईस मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय धान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है. गर्डस मिलर्स से नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा 2932.55 मे. टन कस्टम मिल्ड चावल प्राप्त किया गया तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुल 83916 मे. टन लेव्ही चावल प्राप्त किया गया.

टाटा स्टील प्लांट को शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता

21. (*क्र. 357) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ शासन एवं टाटा स्टील के बीच बस्तर में स्टील प्लांट लगाने हेतु दिनांक 4 जून, 2005 को निष्पादित एम.ओ.यू. के अनुसार अब तक शासन द्वारा क्या-क्या सहायता उपलब्ध करायी गयी है ? (ख) टाटा स्टील प्लांट द्वारा 30-6-2006 तक कितने हेक्टेयर जमीन का क्रय बस्तर में स्टील प्लांट लगाने हेतु किया गया है ? (ग) टाटा स्टील द्वारा चूना पत्थर तथा डोलोमाईट के खनन के लिए कहां-कहां से पट्टे की मांग की गई है तथा अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) बस्तर में स्टील प्लांट लगाने हेतु मेसर्स टाटा स्टील को राज्य शासन द्वारा अभी तक कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है. (ख) टाटा स्टील प्लांट द्वारा 30-6-2006 तक स्टील प्लांट लगाने हेतु बस्तर में कोई भूमि क्रय नहीं की गई है. (ग) टाटा स्टील द्वारा चूना पत्थर तथा डोलोमाईट के खनन के लिए अभी खनि. पट्टे की मांग नहीं की गयी है. अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश में एलोवेरा के बिक्री हेतु किये गये अनुबंध

22. (*क्र. 72) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2004-05, 2005-06 में कृषि उद्यानिकी विभाग द्वारा किस-किस संस्थान से कितनी-कितनी संख्या में एलोवेरा बीज (पौधा) खरीदा गया एवं किस-किस तिथि को कितनी कितनी राशि का भुगतान किया गया ? (ख) उपरोक्त दो वर्ष में किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में एलोवेरा औषधि की बिक्री की गयी ? (ग) एलोवेरा बिक्री हेतु किस-किस फर्म से कब-कब, किस-किस शर्त एवं दर पर अनुबंध किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में खरीदे गये एलोवेरा पौधों का संस्थावार, संख्यावार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	प्रदायकर्त्ता संस्था का नाम	आदेशित मात्रा	प्राप्त मात्रा	
			2004-05	2005-06
1.	छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एग्रो प्रकोष्ठ)	21,61,335	8,18,154	13,43,181
2.	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम.	30,10,620	-	30,10,620
	योग	**51,71,955**	**8,18,154**	**43,53,801**

क्रय किये गये पौधों के विरुद्ध भुगतान की गई राशि का विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) अभी तक विभाग के माध्यम से एलोवेरा औषधि की बिक्री नहीं की गई है. (ग) एलोवेरा बिक्री हेतु विभाग द्वारा अभी तक किसी फर्म से अनुबंध नहीं किया गया है.

अभनपुर से खिलोरा तथा नवापारा से कठिया मार्ग के निर्माण संबंधी जानकारी

23. (*क्र. 569) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर जिले की ''अभनपुर सारखी-टिकारी-खिलोरा'' मार्ग एवं ''नवापारा-छाटा-कठिया'' मार्ग निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति कब प्रदान की गयी ? उक्त कार्यों का ठेका कब दिया गया, कार्यादेश की तारीख, लागत एवं कार्यपूर्ण करने की अवधि, कार्य पूर्ण करने हेतु दी गई अतिरिक्त समय वृद्धि सहित वर्तमान में कार्य की प्रगति कितनी है ?

† परिशिष्ट ''छ:''

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) :

(I) **अभनपुर-सारखी-टेकारी मार्ग का निर्माण :**—प्रशासकीय स्वीकृति:— दिनांक 9-1-2003. कार्य की लागत :— 160.00 लाख, कार्यादेश तिथि :— 4-6-2003, कार्य पूर्ण करने की अवधि :— 6 माह वर्षा ऋतु सहित, अतिरिक्त समयवृद्धि :— 31-12-2006, कार्य की प्रगति :— गिट्टीकरण-15.20 कि.मी. प्रथम परत, 8.00 कि.मी. द्वितीय परत, पुलिया 39 नग पूर्ण.

(II) **नवापारा-छाटा-कठिया मार्ग का निर्माण :**—प्रशासकीय स्वीकृति :— 31-12-2002 कार्य की लागत :— 112.00 लाख, कार्यादेश तिथि :— 18-2-2005, कार्य पूर्ण करने की अवधि :— 8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर, अतिरिक्त समयावृद्धि :— 2-11-2006, कार्य की प्रगति :— गिट्टीकरण-4.50 कि.मी. पूर्ण.

प्रदेश में जल संसाधन विभाग द्वारा बांधों की सुरक्षा संबंधी कार्यवाही

24. (*क्र. 173) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने बांध अपनी अवधि पूर्ण होने के उपरान्त खतरनाक घोषित किए जा चुके हैं ? (ख) इन बांधों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) प्रदेश में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कोई भी बांध अपनी अवधि पूर्ण होने के उपरान्त खतरनाक घोषित नहीं किया गया है. (ख) उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

ता. प्र. क्र. 328 दिनांक 21-12-2005 के तारतम्य में वसूली योग्य ठेकेदारों को ठेका देने के संबंध में

25. (*क्र. 39) **श्री नोवेल कुमार वर्मा** : क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तारांकित प्रश्न क्रमांक 328, दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 के प्रपत्र (क) में दी गयी जानकारी अनुसार लोक निर्माण विभाग के किन-किन वसूली योग्य ठेकेदारों को 1 अप्रैल, 2005 से 1 जुलाई, 2006 तक विभाग द्वारा कार्य करने हेतु ठेका दिया गया है ? कार्य का नाम एवं अनुबंध राशि तथा अनुबंध तिथि क्या-क्या है ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ पर है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट " एक "

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 172) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2005 एवं 2006 में अवैध शराब बिक्री की थानेवार जानकारी

क्र.	थाने का नाम	वर्ष	प्रकरण	गिरफ्तार		चालान		लंबित पुलिस		खात्मा	खारजी	फरारी	
				प्रकरण	व्यक्ति	प्रकरण	व्यक्ति	प्रकरण	व्यक्ति			प्रकरण	व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	दुर्ग	2005	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0
		2006	20	20	21	10	10	10	11	0	0	0	0
2.	मोहननगर	2005	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
		2006	6	6	10	4	6	2	4	0	0	0	0
3.	पुलगांव	2005	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0
		2006	22	22	22	11	11	11	11	0	0	0	0
4.	धमधा	2005	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0
		2006	10	10	10	7	7	3	3	0	0	0	0
5.	बोरी	2005	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
		2006	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
6.	नंदनी	2005	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0
		2006	12	12	12	10	10	2	2	0	0	0	0
7.	बेरला	2005	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0
		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	साजा	2005	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0
		2006	7	7	7	3	3	4	4	0	0	0	0
9.	पाटन	2005	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0
		2006	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
10.	रानीतराई	2005	5	5	6	5	6	0	0	0	0	0	0
		2006	5	5	5	4	4	1	1	0	0	0	0
11.	रन चिरई	2005	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
		2006	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12.	अर्जुंदा	2005	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
		2006	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
13.	गुंडरदेही	2005	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
		2006	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0
14.	उतई	2005	46	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0
		2006	26	26	27	15	16	11	11	0	0	0	0
15.	अण्डा	2005	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
		2006	17	17	17	9	9	8	8	0	0	0	0
16.	पुरानी भिलाई	2005	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0
		2006	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0
17.	कुम्हारी	2005	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
		2006	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
18.	भिलाई नगर	2005	14	14	17	14	17	0	0	0	0	0	0
		2006	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
19.	भिलाई भट्टी	2005	5	5	5	5	6	0	0	0	0	0	0
		2006	1	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0
20.	नेवई	2005	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0
		2006	7	7	8	7	8	0	0	0	0	0	0
21.	छावनी	2005	79	79	81	79	81	0	0	0	0	0	0
		2006	29	29	32	21	24	8	8	0	0	0	0
22.	सुपेला	2005	61	60	100	60	100	0	0	1	0	0	0
		2006	22	22	31	20	29	2	2	0	0	0	0
23.	जामुल	2005	29	29	30	29	33	0	0	0	0	1	3
		2006	20	20	20	12	12	8	8	0	0	0	0
24.	बालोद	2005	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0
		2006	21	21	22	15	16	6	6	0	0	0	0
25.	गुरूर	2005	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0
		2006	13	13	13	10	10	3	3	0	0	0	0
26.	डौण्डी लोहारा	2005	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0
		2006	8	8	8	5	5	3	3	0	0	0	0
27.	देवरी	2005	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0
		2006	7	7	7	4	4	3	3	0	0	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
28.	राजहरा	2005	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0
		2006	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
29.	डौण्डी	2005	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0
		2006	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
30.	महामाया	2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	बेमेतरा	2005	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0
		2006	19	19	19	15	15	4	4	0	0	0	0
32.	नवागढ़	2005	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0
		2006	7	7	7	5	5	2	2	0	0	0	0
33.	नांदघाट	2005	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0
		2006	5	4	4	3	3	1	1	1	0	0	0
34.	खमरिया	2005	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		2006	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	योग	**2005**	563	562	610	**562**	**613**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**3**
		2006	338	337	358	**242**	**260**	**95**	**98**	**1**	**0**	**0**	**0**

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 536) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

(क) विधान सभा क्षेत्र जरहागांव एवं विधान सभा क्षेत्र मुंगेली के विकासखण्ड स्तरवार प्रदान किये गये बीज की जानकारी

(दिनांक 12-7-06 की स्थिति में)

			विकासखण्ड-पथरिया में बीज भंडारण					विकासखण्ड - पथरिया का वितरण		विकासखण्ड -मुंगेली में बीज भंडारण					विकासखण्ड -मुंगेली का वितरण	
क्र.	फसल का नाम	किस्म	बीज निगम से प्राप्त बीज	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र से प्राप्त बीज	मिनीकिट के रूप में प्राप्त बीज	निजी क्षेत्र में भंडारित बीज	योग	विधान सभा क्षेत्र जरहागांव अंतर्गत	विकासखण्ड का योग	बीज निगम से प्राप्त बीज	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र से प्राप्त बीज	मिनीकिट के रूप में प्राप्त बीज	निजी क्षेत्र में भंडारित बीज	योग	विधान सभा क्षेत्र मुंगेली अंतर्गत	योग वितरण वि. खं. मुंगेली
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	धान	पूर्णिमा	15.00	3.90	0.00	-	18.90	13.80	18.90	9.60	37.20	-	-	46.80	9.00	9.00
		स्वर्णा	65.70	0.00	0.00	-	65.70	35.00	52.20	147.10	-	-	-	147.10	121.00	128.50
		एमटीयू 1010	40.20	0.00	0.00	-	40.20	69.70	40.20	103.80	-	-	-	103.80	82.50	89.40
		एमटीयू 1001	78.00	22.50	0.00	-	100.50	30.00	95.10	73.50	62.10	-	-	135.60	78.00	78.00
		आईआर 64	5.10	0.00	0.00	-	5.10	2.40	5.10	9.90	-	-	-	9.90	9.90	9.90
		महामाया	81.90	0.00	0.00	-	81.90	51.90	73.90	187.20	-	-	-	187.20	174.60	182.10
		शताब्दी	9.30	0.00	0.00	-	9.30	9.30	9.30	-	-	-	-	0.00	-	-
		इंदिरा सुगंधित	4.50	0.00	0.00	-	4.50	4.50	4.50	-	-	-	-	0.00	-	-
		बीपीटी 5204	0.00	7.50	0.00	-	7.50	7.50	7.50	-	39.00	-	-	39.00	1.50	1.50
		योग धान	**299.70**	**33.90**	**0.00**	**0.00**	**333.60**	**224.10**	**305.70**	**531.10**	**138.30**	**0.00**	**0.00**	**669.40**	**476.50**	**498.40**
2.	अरहर	आशा	3.80	0.00	0.00	-	3.80	2.30	2.30	8.28	-	-	-	8.28	8.28	8.28
		लक्ष्मी	0.00	0.00	2.00	-	2.00	1.20	2.00	-	-	2.60	-	2.60	0.76	1.36
		योग अरहर	**3.80**	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**5.80**	**3.50**	**4.30**	**8.28**	**0.00**	**2.60**	**0.00**	**10.88**	**9.04**	**9.64**
3.	तिल	जी-2	1.00	0.00	0.00	-	1.00	0.55	0.55	-	-	-	-	0.00	-	-
4.	सोयाबीन	जेएस 335	8.00	0.00	0.00	-	8.00	2.00	8.00	1262.00	-	-	-	1262.00	1262.00	1262.00
		जेएस 93-05	0.00	0.00	8.80	-	8.80	6.00	8.80	-	-	10.00	-	10.00	9.28	10.00
		इंदिरा सोया-9	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	46.80	46.80	-	563.10	656.70	656.70	656.70
		योग सोयाबीन	**8.00**	**0.00**	**8.80**	**0.00**	**16.80**	**8.00**	**16.80**	**1308.80**	**46.80**	**10.00**	**563.10**	**1928.70**	**1927.98**	**1928.70**
5.	अरण्डी	क्रांति	0.00	0.00	0.40	-	0.40	0.40	0.40	-	-	0.40	-	0.40	0.40	0.40
6.	मूंग	पी. डी. एम.-139	0.00	0.00	0.60	-	0.60	0.40	0.60	-	-	0.60	-	0.60	0.60	0.60
		एचयूएम-2	0.00	0.00	0.60	-	0.60	0.40	0.60	-	-	0.60	-	0.60	0.60	0.60
		योग मूंग	**0.00**	**0.00**	**1.20**	**0.00**	**1.20**	**0.80**	**1.20**	**0.00**	**0.00**	**1.20**	**0.00**	**1.20**	**1.20**	**1.20**
7.	मक्का	पी. ई. एच. एम.-1	0.00	0.00	0.06	-	0.06	0.06	0.06	-	-	0.06	-	0.06	0.06	0.06
8.	ढेंचा	-	0.80	0.00	0.00	-	0.80	0.40	0.80	-	-	-	-	0.00	-	-
		महायोग	313.30	33.90	12.46	0.00	359.66	237.81	329.81	1848.18	185.10	14.26	563.10	2610.64	2415.18	2438.40

प्रपत्र "ब"

(ख) बिलासपुर जिले में सम विकास योजना में बीजोत्पादन कार्यक्रम के तहत किसानों के द्वारा क्रय किये गये बीज की राशि के भुगतान की जानकारी

क्र.	फसल		बीज उत्पादक किसानों की संख्या जिनका बीज क्रय किया गया	मात्रा क्विंटल में	भुगतान की गई राशि (रु. में)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	धान		149	5025.30	4250461.00
	सोयाबीन		32	236.40	547044.00
		योग खरीफ	**181**	**5261.70**	**4797505.00**
	गेहूं		8	162.82	124730.00
	चना		6	19.85	26754.00
		योग रबी	**14**	**182.67**	**151484.00**
		महायोग	**195**	**5444.37**	**4948989.00**

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 56) की जानकारी]

क्र.	दूरी	परिवहन दर प्रति क्विंटल लोडिंग/अनलोडिंग सहित
(1)	(2)	(3)
1.	0-8 कि. मीटर	6.00
2.	0-15 कि. मीटर	6.40
3.	0-25 कि. मीटर	9.00
4.	0-50 कि. मीटर	14.00
5.	0-75 कि. मीटर	16.00
6.	0-100 कि. मीटर	22.00
7.	0-125 कि. मीटर	22.50
8.	0-150 कि. मीटर	24.00
9.	0-175 कि. मीटर	27.00
10.	0-200 कि. मीटर	30.00

संग्रहण केन्द्र से राईस मिल तक की वास्तविक दूरी में 0-8 कि. मीटर कम कर उपरोक्त तालिका के अनुसार परिवहन दर देय है, किन्तु 0-08 कि. मीटर के भीतर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु 4.00 रुपये प्रति क्विंटल देय है.

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 514) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रथम चरण-सड़क कार्य

स. क्र. (1)	मार्ग का नाम (2)	लंबाई (किमी.) (3)	विकास खण्ड (4)
1.	महाराष्ट्र बार्डर मानपुर-मोहला-डोंगरगांव-राजनांदगांव मार्ग.	110.6	मोहला, छुरिया, अंबागढ़ चौकी, डोंगरगांव, राजनांदगांव.
2.	राजनांदगांव-खैरागढ़-कवर्धा मार्ग	114.0	राजनांदगांव, छुईखदान, कवर्धा, खैरागढ़.
3.	पोंडी-पंडरिया-मुंगेली-तखतपुर-बिलासपुर मार्ग	106.0	पंडरिया, तखतपुर, मुंगेली, बिलासपुर
4.	रामानुजगंज-वाड्रफनगर मार्ग	55.0	पाल, वाड्रफनगर
5.	गरियाबंद-बारदुला मार्ग	58.8	गरियाबंद, मैनपुर
6.	कुम्हारी-बेरला-बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली मार्ग	111.0	धमधा, बेरला, बेमेतरा, नवागढ़, मुंगेली.
7.	भानुप्रतापपुर-नारायणपुर-कोण्डागांव मार्ग	141.0	भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, नारायणपुर, कोण्डागांव.
8.	अंबिकापुर-रामानुजगंज मार्ग (झारखंड स्टेट बार्डर पर)	63.0	सरगुजा, पाल
9.	अंबिकापुर-धनवार रोड (यू. पी. स्टेट बार्डर तक)	51.6	सरगुजा, वाड्रफनगर, प्रतापपुर
	कुल लंबाई	**811.0**	

प्रपत्र "ब"

द्वितीय चरण-सड़क कार्य

स. क्र. (1)	मार्ग का नाम (2)	लम्बाई (किमी.) (3)
पेकेज-'अ'		
1.	करतला-उदयपुर मार्ग	70.0
2.	करतला-सक्ती मार्ग	62.80
3.	सक्ती-मालखरौदा मार्ग	20.40
4.	मालखरौदा-हसौद मार्ग	19.50
5.	हसौद-सरसींवा-सरायपाली-पदमपुर मार्ग (उड़ीसा बार्डर)	70.40
6.	बसना-बिलईगढ़ मार्ग	49.00
7.	नांदघाट-मुंगेली मार्ग	38.00
8.	बलौदाबाजार-हथबंद-सिमगा मार्ग	48.00
9.	रायपुर-अमलेश्वर-फुंडा मार्ग	22.40
		400.50
पेकेज-'ब'		
10.	अभनपुर-राजिम मार्ग	18.00
11.	राजिम-गरियाबंद मार्ग	45.00
12.	राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद मार्ग	35.00
13.	धमधा-गंडई मार्ग	34.00
14.	दुर्ग-गुण्डरदेही-बालोद-कुसुमकसा मार्ग	76.00
15.	नगरी-धमतरी मार्ग	66.00
16.	धमतरी-गुण्डरदेही मार्ग	40.50
17.	दंतेवाड़ा-सुकमा मार्ग	78.00
		392.50
	कुल लंबाई	**793.00**

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 209) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अवधि 01 दिसम्बर 2003 से 30 जून 2006 तक जिलेवार अपराधों की जानकारी

क्र. (1)	जिला (2)	चोरी (3)	डकैती (4)	हत्या (5)	बलात्कार (6)	हत्या का प्रयास (7)	आगजनी (8)	महिला उत्पीड़न (9)
1.	रायपुर	2606	14	233	347	153	67	1419
2.	महासमुन्द	502	6	51	76	26	17	356
3.	धमतरी	282	0	42	77	22	13	370
4.	दुर्ग	2279	5	189	315	157	82	1491
5.	राजनांदगांव	548	12	107	194	62	41	576
6.	कबीरधाम	286	0	36	67	28	18	356
7.	बिलासपुर	1913	10	234	178	149	65	1156
8.	रायगढ़	952	12	149	110	67	31	499
9.	जांजगीर	721	8	127	98	85	27	611
10.	कोरबा	811	6	105	91	37	20	427
11.	सरगुजा	479	21	151	196	66	35	609
12.	जशपुर	175	17	139	159	41	19	430
13.	कोरिया	311	12	97	128	49	27	442
14.	बलरामपुर	62	37	86	94	48	17	241
15.	सूरजपुर	298	10	142	120	52	23	171
16.	जगदलपुर	541	28	212	276	134	30	677
17.	दन्तेवाड़ा	164	34	199	35	137	24	85
18.	कांकेर	174	67	108	69	105	30	233
19.	बीजापुर	16	127	178	16	282	35	41
20.	नारायणपुर	22	44	49	4	92	16	20
21.	जीआरपी रायपुर	587	1	8	5	12	1	13
	योग	13729	471	2642	2655	1804	638	10223

प्रपत्र "ब"

अवधि 01 दिसम्बर 2003 से 30 जून 2006 तक जिलेवार नक्सलियों द्वारा घटित अपराधों की जानकारी

क्र. (1)	जिला (2)	चोरी (3)	डकैती (4)	हत्या (5)	बलात्कार (6)	हत्या का प्रयास (7)	आगजनी (8)	महिला उत्पीड़न (9)
1.	रायपुर	0	0	0	0	0	0	0
2.	महासमुन्द	0	0	0	0	0	0	0
3.	धमतरी	0	0	0	0	0	0	0
4.	दुर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5.	राजनांदगांव	0	3	13	0	9	17	0
6.	कबीरधाम	0	0	0	0	0	0	0
7.	बिलासपुर	0	0	0	0	0	0	0
8.	रायगढ़	0	0	0	0	0	0	0
9.	जांजगीर	0	0	0	0	0	0	0
10.	कोरबा	0	0	0	0	0	0	0
11.	सरगुजा	0	0	3	0	7	3	0
12.	जशपुर	0	0	4	0	5	1	0
13.	कोरिया	0	0	1	0	3	0	0
14.	बलरामपुर	0	16	16	1	33	9	0
15.	सूरजपुर	0	0	11	0	16	7	0
16.	जगदलपुर	0	22	4	0	34	8	0
17.	दन्तेवाड़ा	0	16	48	0	91	14	0
18.	कांकेर	0	56	37	1	77	14	0
19.	बीजापुर	0	91	157	0	256	34	0
20.	नारायणपुर	0	40	20	0	87	12	0
21.	जीआरपी रायपुर	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**0**	**244**	**314**	**2**	**618**	**119**	**0**

परिशिष्ट "छ: "

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 72) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में क्रय किये गये एलोवेरा पौधों के भुगतान का विवरण

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	संस्थान का नाम जिसे भुगतान किया गया (3)	भुगतान की गई राशि (4)	भुगतान की तिथि (5)
1.	दंतेवाड़ा	छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एग्रो प्रकोष्ठ) शाखा जगदलपुर.	2,99,999.00	31-3-2005
2.	सरगुजा	छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, अंबिकापुर.	7,79,997.00	7-5-2005
3.	जगदलपुर	शाखा प्रबंधक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एग्रो प्रकोष्ठ) शाखा जगदलपुर.	7,99,999.00	31-3-2005
4.	जशपुर	छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायगढ़.	4,00,000.00 4,00,000.00 37,500.00 37,500.00	6-4-2005 21-4-2005 5-4 2005 28-10-2005
5.	बिलासपुर	छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, बिलासपुर.	3,99,942.00	14-4-2005
6.	रायगढ़	छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एग्रो प्रकोष्ठ) शाखा रायगढ़.	4,00,000.00 3,00,003.00	29-3-2005 31-3-2005
7.	कोरबा	छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, जांजगीर.	6,00,000.00	18-4-2005
8.	कांकेर	छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एग्रो प्रकोष्ठ) शाखा जगदलपुर.	2,99,999.00	31-3-2005
9.	दंतेवाड़ा	छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एग्रो प्रकोष्ठ) शाखा जगदलपुर.	87,272.00	31-3-2006
10.	दुर्ग	छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, दुर्ग.	5,60,000.00	26-11-2005
11.	सरगुजा	छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, अंबिकापुर.	60,000.00	31-12-2005
12.	जगदलपुर	छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एग्रो प्रकोष्ठ) शाखा जगदलपुर.	10,90,908.00	25-8-2005
13.	कबीरधाम	छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, कबीरधाम.	9,00,000.00	6-10-2005
14.	जशपुर	छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायगढ़.	2,40,000.00 6,00,000.00 1,60,000.00	3-11-2005 6-12-2005 22-3-2006
15.	बिलासपुर	छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, बिलासपुर.	1,20,000.00	18-11-2005
16.	रायगढ़	छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एग्रो प्रकोष्ठ) शाखा रायगढ़.	1,86,597.00	18-8-2005
17.	कोरबा	छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, जांजगीर.	42,271.00 7,60,000.00	23-11-2005 25-11-2005
18.	कांकेर	छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एग्रो प्रकोष्ठ) शाखा जगदलपुर.	1,36,000.00	29-10-2005
19.	महासमुन्द	छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर.	6,25,000.00	25-10-2005
20.	कोरिया	छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, कोरिया.	5,00,000.00	29-8-2005
		योग	**1,08,22,987.00**	